न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 52/2026 बउनवानी मुरारी लाल मीना **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी छारोदा तहसील सवाईमाधोपुर

Appeal Number- 321762916199495

GCMS No-2026/ 100

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.स. अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
15.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 25.2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***खातेदार सुरजमल उर्फ सुरज्या पुत्र रामनारायण निवासी छारोदा के फोत होने के बाद विधिक वारिसान पटवार हल्का छारोदा नया खाता संख्या 10 11 ओर 63 मे विरासत का नामा0 दर्ज किया गया था विरासत नामा0 संख्या 661 दिनांक 3.10.2024 की प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना अधि./2026/34 दिनांक 06.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.1.2026 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 के तहत राजस्थान भू. राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान होने के कारण उक्त सूचना उक्त अधिनियम के तहत देय नही है। अपीलान्ट को उक्त सूचना नकल आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की बताते हुए अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जो गलत है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करावे साथ ही अपीलान्ट को चाहिए कि वह पूर्ण सूचना सहित नकल आवेदन पत्र पेश कर वांछित सूचनाऐं तहसील कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner